

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष के पद के लिए प्रारूप भर्ती

नियमो पर सार्वजनिक सूचना

क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015  
के.ज़.सं.एवी.14017/61/2008 -ईस्ट (आर आर ) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनःचिकित्सा  
संस्थान, कांके, रांची में वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संगलन है।

प्रारूप भर्ती नियमो पर आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक  
होल्डर्स) अपनी आपत्ति / टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमो के प्रकाशन की तारीख  
से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, सलाहकार (मेन्टल  
हेल्थ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं 407 - ए, निर्माण भवन, मौलाना  
आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110108 या ई-मेल पते : [ajaya59@gmail.com](mailto:ajaya59@gmail.com) पर भेज सकते  
है।

(अजय कुमार केपी),

सलाहकार (मेन्टल हेल्थ)

टेलीफोन - 011 -23062870

नई दिल्ली

दिनांक: 6/9/2019

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

, 2019

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मनोरोग अस्पताल, रांची (श्रेणी III और श्रेणी IV पदों पर भर्ती) संशोधन नियम, 1973 को, जहां तक उसका संबंध वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करने हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु सीधी भर्ती किये जाने वाले अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उक्त व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य गियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ब्रिगिड पुस्तकाध्यक्ष	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुमचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (रुपये 21700-69100/-) में पुस्तकाध्यक्ष जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित में मिल कर बनेगी: 1. निदेशक, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।



केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त या  
मांविधिक संगठन/मार्बजनिक् क्षेत्र के  
उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्ध-  
सरकारी के अधीन ऐसे अधिकारी:

क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  
(ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4(25500-81100  
रुपये) पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा  
समकक्ष; और

ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पुस्तकालय  
विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा या  
स्नातक की डिग्री;

2. किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में पुस्तकाध्यक्ष के  
रूप में दो वर्षों का अनुभव।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उमी  
या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले  
धारित किन्हीं अन्य काडर-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि  
शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।  
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा  
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक  
नहीं होगी।

2. चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची  
मदस्य;
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची  
मदस्य